विक्रय–पत्र

बैनामा :- 3,00,000/–रुपये

बाजारी मालियत :- 3,07,350/–रुपये

स्टाम्प शुल्क :- 30,800/–रुपये

इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नही

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- नही

स्टाम्प शीटों की संख्या :- 9 पिस

विक्रित सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :- 0-0683 हेक्टेयर
अर्थात 683 वर्ग मीटर

वार्षिक लगान :- 1/-रुपया 70पैसे

विक्रित सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि
(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) नही

स्थित ग्राम :- पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार
(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रता अनुसूचित जाति अथवा जन जाति से संबंधित है अथवा नहीं :- नही

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- भूमिधारी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं :- नही

चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- चल रही है

कृषि भूमि की स्थिती में :- सिंचित
(बाग, सिंचित / असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या व कालम संख्या :- 9क्रमांक -3 सर्किल रेट :- 450/–रुपये प्रति वर्गमीटर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :- अन्दर

मुख्य सड़क से दूरी (50 मी अथवा 50 मी से ज्यादा) :- 50 मीटर से अधिक

क्या क्रेता उत्तरांचल का कृषक है अथवा नहीं :- अचल सम्पत्ति है

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता :- जगदीश सिंह चौहान एडवोकेट रुड़की

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- मुस्तकीम पुत्र श्री नाजर निवासी ग्राम पुहाना
परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार।

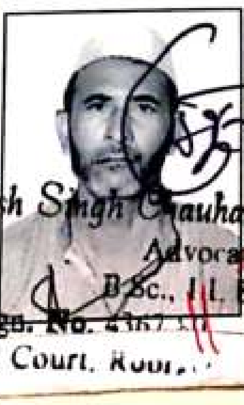

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., LL.B
Regn. No. 4367/80
Civil Court, Roorkee

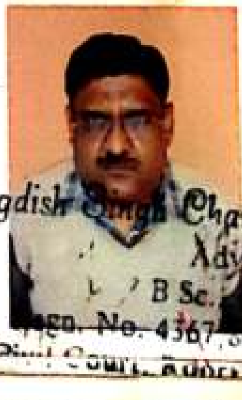

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., LL.B.
Regn. No. 4367/80
Civil Court, Roorkee

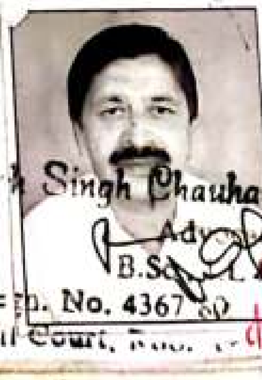

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc., LL.B.
Regn. No. 4367/80
Civil Court, Roorkee

Scanned with CamScanner

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि महकमें 'बैंक, सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप सक्षम है। अत: प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुबलिग 3,00,000/- तीन लाख

रुपये मे हाथ श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री पारस रैन जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुडकी व पवन कुमार गोयल पुत्र श्री डी0 पी0 गोयल निवासी 13 सिविल लाइन रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार ।

को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही और न भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी ब काई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब प्रतिज्ञ वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावें और जो चाहें सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद-विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेंवें इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जोकि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होता है का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अत: यह विक्रेय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है। जोत चकबन्दी आकारपत्र 23 के अनुसार चक स0 121 का प्रथम चक ,प्रस्तावित गाटानम्बरान 290 रकबा0-0020 हेक्टेयर व 291 मि0 रकबा 0-1598 हेक्टेयर रकबई कुल 0-1618 हेक्टेयर भूमि मे से रकबई 0-0683

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

499502

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★★ सुन्दर सिंह ★
कोषागार संख्या 5500
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
×× 2007 – 2008 ++

(3)

हेक्टेयर भूमि अर्थात 683 वर्ग मीटर लगानी 1/-रूपया 70 पैसे सालाना

वाकिब पूरब स्थित ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील –

499441

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★★★कोषाधिकारी ★
रुड़की ★
कोड संख्या 5500 ★
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
×× 2007 – 2008 ++

14

रुड़की जिला हरिद्वार, विक्रय की है । विक्रेता, क्रेता के नाम

दाखिल खारिज होने मे पूरा पूरा सहयोग करेगा । विक्रीत

P.C. Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

499455

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★★★ कोषाधिकारी ★
रुड़की ★
कोड संख्या 5500 ★
27 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
×× 2007 – 2008 ++

{5}

भूमि काश्त की भूमि है परन्तु विक्रीत रक्बा 1000 वर्ग मीटर से कम होने के कारण आबादी का रेट 450/- रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से स्टाम्प

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

A 308928

उत्तरांचल UTTARANCHAL

★★★कोषाधिकारी ★
रुड़की ★
क्र० द संख्या 5500 ★
25 JUL 2007
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
xx : 007 – 2008 ++

§ 6§

अदा किया है जबकि कृषि भूमि का रेट 6,50,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर है

मय जुमला हक हकूक हरप्रकार सहित ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ांचल UTTARANCHAL

926942

★★★कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या 5500
20 JUL 2007

तमसील वसूल याबी जरेसमन :- कुल मूल्यराशि मे से मु0 1,00,000/-रुपये क्रेता से पेशगी प्राप्त कर लिये है और मु0 2,00,000/-रुपये क्रेता से नकद प्राप्त कर लिये है अब कोई मूल्यराशि शेष नही रही हैऔर न ही भविष्य मे होगी ।

विक्रेता के पांचो अँगुलियो के निशान :-

भारतीय गैर न्यायिक

क सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

926943

ल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी
रुड़की
कोष संख्या 5500
0 JUL 2007
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
×× 2007 – 2008 ++

क्रेता के पाँचो अंगुलियो के निशान :- RC Jain

क्रेता के पाँचो अंगुलियो के निशान :-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

926944

ल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी रुड़की
कोड संख्या 6500
20 JUL 2007
जिला हरिद्वार
2007 - 2008

गवाह :-

रुस्तम

गवाह :-

तहरीरतारीख:-30-7-2007 ई0

फोटो प्रमाणित व

ड्राफ्टिकबाई :- जगदीश सिंह चौहान एडवोकेटस्कीकी

टाइप कर्ता :-धूमसिंहरुड़की

30-07-2007

Photo & Certificate

Seller

Buyer

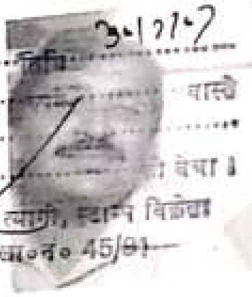

सं० 564 तिथि 30-7-07
स्टाम्प 100 वास्ते
द्वारा श्री
नि० बेचा।
विनोद कुमार त्यागी, स्टाम्प विक्रेता
रुड़की, ला०नं० 45/91

Witness

Witness 1

Witness 2

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की जिला हरिद्वार उत्तरांचल

वही नम्बर	1	जिल्द	161	पृष्ठ	173 से 190
में नम्बर	8,903	पर आज दिनांक	30-07-2007	में रजिस्ट्री की गयी।	

30/7/07

उप निबन्धक SRO1 Roorkee

ख० पा० क्र०- गगावाली
वाद संख्या - 83
3/12/-12
दा० खारिज- 20-3-08

6/5/08

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर–प्रथम श्रेणी, रूड़की।

वाद सं0– 221 /2008

अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0
मौजा–पुहाना मुस्तहकम
परगना–भगवानपुर
तह0–रूड़की जिला–हरिद्वार।

प्रेमचन्द जैन आदि बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतर सैन जैन व श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रूड़की जनपद हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12 मई, 2008 के आधार पर योजित हुआ। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मौजा ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या–121 के खसरा संख्या–290मि. रकबा 0.0020 है0, 291मि. रकबा 0.1598 है0 कुल 2 किता रकबई 0.1618 है0 में से रकबई 0.0683 है0 भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, रूड़की से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, रूड़की द्वारा अपनी जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 14–05–2008 को निर्धारित प्रारूप नियम–135 पर आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मौजा–पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या–121 के खसरा संख्या–290मि. रकबा 0.0020 है0, 291मि. रकबा 0.1598 है0 कुल 2 किता रकबई 0.1618 है0 में से रकबई 0.0683 है0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। मौके पर कृषि कार्य जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी शामिल है, के प्रयोग में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। खाता संख्या–121 के खसरा संख्या–290मि. रकबा 0.0020 है0, 291मि. रकबा 0.1598 है0 कुल 2 किता रकबई 0.1618 है0 में से कुल रकबई 0.0683 है0 भूमि पर मौके पर उद्योग हेतु टीनशैड डालने की कार्यवाही हो रही है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूमि को ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार, रूड़की की आख्या/संस्तुति दिनांक 14–05–2008 के आधार पर मौजा–पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता संख्या–121 के खसरा संख्या–290मि. रकबा 0.0020 है0, 291मि. रकबा 0.1598 है0 कुल 2 किता रकबई 0.1618 है0 में से कुल रकबई 0.0683 है0 भूमि को ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी होवें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित होवे।

दिनांक– 19–05–2008

Copied by : 19-5-08
Compared by : ....
Examined by : ....

19/05/08
(हरीश चन्द्र काण्डपाल)
उप जिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
रूड़की।

of Application 290
of Application 19-5-08
of Notice 19-5-08
of Issue 19-5-08

सत्य प्रतिलिपि
19/5/2008

Scanned with CamScanner

Plot

विक्रय पत्र

(143) 613 Acre

Factory (U.N.B.)

कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की।

अन्तर्गत धारा-5"ग"जो.च.अ.

प्रार्थना.पत्र सं0- 36

प्रेम चन्द जैन आदि   बनाम   सरकार

ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार,

अनुमति-पत्र

श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतरसैन जैन व कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन निवासी गण 490 पुरानी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं0-121 के प्रस्तावित गाटा सं0- 290 मि,0.0020 है0, 291 मि. 0.1598 है0 में से रकबई 0.083 है0 भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुख्ता निमार्ण (आबादी निमार्ण) औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जाये।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी। स.च.अ. ने आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के सह-खातेदार स्वामी है तथा अपने भाग की भूमि पर काबिज है। इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है। जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र सलंग्न है। यह भूमि जो.च.अ.-21 में भी सुरक्षित नही की गयी है। स.च.अ. द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है कि चक सं0-121 के सम्बन्ध में - प्रार्थीगण ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम सभा ने भी अपनी सहमति दी है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रयोजनार्थ अनुमति दिये जाने से ग्राम सभा को कोई हानि नहीहै

मैने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या, प्रधान ग्राम सभा एवं उपरोक्त चक के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। ग्राम सभा की ओर से प्रधान ग्राम सभा ने सहमति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि जोत चकबन्दी आकार-पत्र-21 में भी सुरक्षित नही किया गया है। इसलिये उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ / पुख्ता निमार्ण (आबादी निमार्ण) औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र चतरसैन जैन व श्रीमति कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम पुहाना मुस्तहकम, परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं0-121 के प्रस्तावित गाटा सं0-290 मि, 0.0020 है0, व 291 मि, 0.1598 है0 में से

P.T.O

Scanned with CamScanner

0.0683 है0 भूमि पर री• एच• एक्ट के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न कार्य कर अनुमति पुख्ता निर्माण/आवासीय निर्माण/ औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमति इस के साथ प्रदान की जाती है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे । यह आदेश 90 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा ।

पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाये ।

सo बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की
15-4-08

याचना पत्र का संख्या व दिनांक 581/16-04-08
नकल तैयारी का दिनांक 17-04-08
नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का दिनांक 17-04-08
टिकटों का मूल्य 7-00
प्रमाणित शब्द 0.1800
वितरण करने का दिनांक 21-04-08
नकल लेने वाले का हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
पेशी कानूनगो 21/4/08
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की